

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान, जयपुर

(जी.3 राजमहल रेजीडेन्शियल ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम जयपुर)  
टेलीफैक्स 0141-2222403, ईमेल-dlbdda05@gmail.com

क्रमांक:-प.1(ग)( )का/एस.एम.ई-3/डी.एल.बी./24/10017

दिनांक:-09/01/2024

आदेश

राज्य की नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारी जो अपने मूल पद संबंधी कार्य (सफाई सेवा) निष्पादित नहीं कर रहे हैं, उन कार्मिकों को तत्काल प्रभाव से उनकी नगरीय निकाय में उनके मूल पद (सफाई कर्मचारी) पर उपस्थिति देने हेतु निर्देश प्रदान किये जाते हैं।

सफाई कर्मचारी के सफाई संबंधी कार्य संपादित नहीं किये जाने की स्थिति में कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए उक्त कार्मिक का जनवरी माह से वेतन भत्ते आदि का भुगतान नहीं किया जावे।

(हृदेश कुमार शर्मा)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक:-प.1(ग)( )का/एस.एम.ई-3/डी.एल.बी./स.भर्ती/23/10018-10842दिनांक:-09/01/2024  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान।
4. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष समस्त राजस्थान।
5. उपनिदेशक (क्षेत्रीय),स्थानीय निकाय विभाग समस्त राजस्थान।
6. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान।
7. आयुक्त/अधिसाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान को निर्देशित किया जाता है उक्त आदेश की अक्षरक्षः पालना सुनिश्चित किया जावे।
8. संयुक्त निदेशक (सिस्टम एनालिस्ट) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. सुरक्षित पत्रावली।

(हृदेश कुमार शर्मा)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव